

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,

अनुभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

कमांक / भू-अर्जन / 2016 463
प्रति,

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
पुनासा, दिनांक 7/5/2016

आ.क्र. जिला सूचना एवं विज्ञान
10 MAY 2016 अधिकारी

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :-

भूअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

—00—

राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ.82/2015.16 में ग्राम खेड़ी बजुर्ग तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 9.223 हेक्टर के भू-अर्जन हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक-30, सन् 2013) की धारा-19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 02 प्रतियां।

(जॉनकी यादव)

अनु-विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, पुनासा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

पुनासा, दिनांक /5/2016

पृष्ठांकन कमांक / भू-अर्जन / 2016 464
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें कि अधिसूचना का प्रकाशन किन समाचार पत्रों में किया गया है तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- कलेक्टर महोदय, (भू-अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सह सादर प्रेषित।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 5- नायब तहसीलदार, मांघाता, की ओर 06 प्रतियां संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु-विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, पुनासा,
जिला खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा,
// उदघोषणा //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013

(कमांक-30 सन् 2013 की धारा-19 (1) के अंतर्गत)

नस्ती कमांक 133/2015 एलए

कमांक/5699/भू-अर्जन/16,

खण्डवा, दिनांक 06/05/2016

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, भूअर्जन अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची- (1)

- 1- भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल

खण्डवा
पुनासा
खेडीबुजुर्ग
9.223 हेक्टर

अनुसूची (1)

स.कं.	खसरा कमांक	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	12/1	0.600	0.226
2	12/2	1.600	0.141
3	12/3	1.100	0.105
4	12/4	1.060	0.053
5	13/4	1.200	0.405
6	16/1	0.800	0.081
7	17	0.400	0.400
8	18/5	1.070	0.251
9	28	6.630	0.992
10	33	2.060	0.728

11	35 / 1	0.340	0.097
12	36 / 1	0.550	0.008
13	41 / 1	0.890	0.210
14	42 / 1	0.600	0.537
15	42 / 2	0.400	0.095
16	42 / 3	0.400	0.095
17	43 / 1	0.520	0.358
18	43 / 2	0.420	0.420
19	43 / 3	0.450	0.450
20	43 / 4	0.030	0.030
21	44 / 1	1.400	0.100
22	44 / 2	1.390	0.060
23	45	0.490	0.376
24	46	0.970	0.688
25	47	0.940	0.482
26	48	0.630	0.389
27	49	0.720	0.526
28	50	0.510	0.020
29	51	0.660	0.050
30	58	0.400	0.008
31	59	0.740	0.052
32	64	0.720	0.080
33	65 / 1	0.100	0.073
34	65 / 2	0.550	0.048
35	66 / 1	0.400	0.100
36	66 / 2	0.260	0.068
37	206 / 1	2.210	0.283
38	316	0.920	0.138
		35.130	9.223

अनुसूची-(2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की
आवश्यकता है

खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना
को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण
हेतु

अनुसूची-(3)

भूअर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1- वार्षिकी या नियोजन का विकल्प:-

प्रभावितों की मांग को ध्यान में रखते हुये रूपये 5 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रूपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जावेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रूपये 5 लाख प्रति एकड़ का अनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जावेगा। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:-

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रूपया 3,00,000/- प्रति एकड़,

(ब) Ex-Gratia रूपये 50,000/- प्रति एकड़,

(स) विशेष अनुदान रूपया 50,000/- प्रति एकड़,

(द) प्रभावितों पर पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रूपये 1,00,000/- प्रति एकड़

2- एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक पृथक 5.5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रूपया 5,00,000/- देय होगा।

2- ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें:-

कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक 12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधा हेतु प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रूपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिए दिया जाना प्रावधानित।

3- खेतों में आवागमन हेतु मार्ग:-

एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड़ अवरुद्ध होंगे वहाँ पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेलवे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4- शेष बची भूमि का अधिग्रहण:-

कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा।



5- सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति:-

सिंचाई के लिए पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6- संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान:-

रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति एकड़ का भूगतान किया प्रावधानित।

7- विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):-

अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मुल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8- प्रशिक्षण:-

एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं आयोजित की जावेगी:-

- 1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।
 - (ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।
 - (स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा।
 - (द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।
- 2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई टी आई में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9- भूमि विकास राशि:-

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10- छात्रवृत्ति:-

प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य-शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी, यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11- स्वास्थ्य सेवाएँ:-

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जॉच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान), एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 04.05.2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भूअर्जन अधिकारी एवं अनु-विभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा, महाप्रबंधक एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ०एम०के०अग्रवाल)

कलेक्टर, एवं समुचित सरकार
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा, म.प्र.